दिनांक : 4.6.2009

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड,
द्वारा अधिकृत अधिकारी श्री गजराज भण्डारी, — याचिकाकर्ता
पुत्र स्व. श्री आर.आर. भण्डारी,
स्थानीय कार्यालय—56 बी, कस्तूरबा नगर, भोपाल.

विरूद्ध

सी.एम.डी.,
म.प्र. मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल. — उत्तरार्थी

: आदेश :

याचिका क्र. 16/09

याचिकाकर्ता की ओर से श्री गजराज भण्डारी, ए.जी.एम. एवं श्री एफ.सी. पंचौरी उपस्थित तथा उत्तरार्थी की ओर से श्री आर.के. मिश्रा, अधीक्षण यंत्री, शहर (वृत) उपस्थित । उत्तरार्थी की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता ने 11 के.वी. पर 500 के.वी.ए. के कनेक्शन को स्वीकृत करने के लिये निवेदन किया है ।

आज दिनांक 04.06.2009 को सुनवाई के दौरान उत्तरार्थी के अधिकृत अधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि याचिकाकर्ता के परिसर में एवं उसके आसपास 220 के.वी./132 के.वी. अति उच्च दाब लाईनों के विद्यमान होने से 33 के.वी. लाईन उक्त परिसर तक ले जाना तकनीकी रूप से कठिन है एवं 500 के.वी.ए. का लोड विद्यमान 11 के.वी. पर उचित क्षमता की मीटरिंग इक्यूपमेंट लगाकर दिया जा सकता है ।

याचिकाकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि नियमानुसार चार्जेस/टैरिफ उनके द्वारा देय होगा ।

आयोग द्वारा याचिकाकर्ता एवं उत्तरार्थी को सुनने के पश्चात यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को 11 के.वी. पर 500 के.वी.ए. का कनेक्शन उत्तरार्थी द्वारा दिया जा सकता है । आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिया जाता है कि टैरिफ आदेश दिनांक 29 मार्च, 2008 में उल्लिखित उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिये सामान्य शर्तों की कण्डिका 1.21 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किया जाए ।

यह याचिका उपरोक्त निर्देशों के साथ समाप्त की जाती है ।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित ।

(सी.एस. शर्मा)
सदस्य (आर्थिक)

(डॉ. जे.एल.बोस)
अध्यक्ष